

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 579 / 2012 / सिरौही.

मैसर्स सुरेन्द्र जिनेन्द्र ट्रेडर्स, सदर बाजार, सिरौही.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सिरौही.प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 580 / 2012 / सिरौही.

मैसर्स सुरेन्द्र कुमार जिनेन्द्र कुमार, सदर बाजार, सिरौही.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सिरौही.प्रत्यर्थी.

3. अपील संख्या – 581 / 2012 / सिरौही.

मैसर्स सुरेन्द्र एण्ड कम्पनी, सदर बाजार, सिरौही.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सिरौही.प्रत्यर्थी.

4. अपील संख्या – 582 / 2012 / सिरौही.

मैसर्स विरेन्द्र उद्योग, सदर बाजार, सिरौही.अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सिरौही.प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.एम.मेड़तिया, अधिकृत प्रतिनिधिअपीलार्थीगण की ओर से.

श्री डी. पी. ओझा,


उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24 / 03 / 2015

निर्णय

1. ये चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के क्रमशः अपील संख्या 139, 140, 141 व 143 / आरवेट / सिरौही / 10-11 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 22.12.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सिरौही (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी व्यवहारीगण के वर्ष 2008-09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2) के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेशों दिनांक 04.08.2010 में वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति की पुष्टि की है।


2. इन चारों अपीलों में समान बिन्दु विवादित होने से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।



3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण के वर्ष 2008-09 के लिये वेट अधिनियम की धारा 23 सपठित केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9(2) के तहत पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.08.2010 को पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा आलौच्य अवधियों के त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र वैट-10 विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति रूपये क्रमशः 10,697/-; 77,109/-; 80,733/- व 57,870/- आरोपित की है। अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2011 से अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. अपीलार्थी व्यवहारीगण के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपण का कोई कारण/औचित्य नहीं दर्शाया है। केवल संतोषप्रद नहीं होना मानते हुए शास्ति आरोपित की है। विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने एस.टी.सी. 211 के प्रकाश में तर्कनाका गलातया के लिये शास्ति आरोपित नही करना चाहिये। कर निर्धारण अधिकारी को स्वमेव आई.टी.सी. के अधिक्य एस.टी.सी. 211 के प्रकाश में तर्कनाका गलातया के लिये शास्ति आरोपित नही करना चाहिये। कर निर्धारण अधिकारी को स्वमेव आई.टी.सी. के अधिक्य करना चाहिये। कर निर्धारण अधिकारी को स्वमेव आई.टी.सी. के अधिक्य (excess) को सृजित मांग के पेटे समायोजित कर लिया है। ऐसा करके आगामी वर्ष की उपलब्ध आई.टी.सी. से वंचित किया है, यह अनुचित कृत्य है। अपीलार्थी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये हैं :-


- (1) ए.आई.आर. 1961 (एस.सी.) 307
- (2) ए.आई.आर. 1964 (एस.सी.) 465
- (3) (2008) 18 वी.एस.टी. 282
- (4) 25 एस.टी.सी. 211 (एस.सी.)
- (5) 118 आई.टी.आर. 326 (एस.सी.)
- (6) 102 आई.टी.आर. 281 (एस.सी.)
- (7) (1992) 198 आई.टी.आर. 297
- (8) 252 आई.टी.आर. 1
- (9) 127 आई.टी.आर. 331



5. उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलें स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
6. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलार्थीगण द्वारा आलौच्य अवधि के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया गया था। राज्य सरकार द्वारा आलौच्य अवधियों के बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को बढ़ाया भी नहीं गया है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थीगण की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया।
8. हस्तगत प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के बिक्री विवरण प्रपत्र वेट-10 विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 21 एवं धारा 58 के प्रावधान विवरण-प्रपत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में दिनांक 01.04.2006 से 09.03.2011 तक निम्न प्रकार रहे हैं :-

21. Filing of return.-

- (1) Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and furnish return, for such period, in such form and manner and within such time as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.
- (2) Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall furnish return for such period in such form and manner and within such time as may be specified.
- (3) Notwithstanding any thing contained in sub-section (1), where the Commissioner is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do may by a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns or may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.



58. Penalty for failure to furnish return. –

Where the assessing authority or any other officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer as authorized by the Commissioner is satisfied that any dealer has, without reasonable cause, failed "to furnish" prescribed returns within the time allowed, he may direct that such dealer shall pay by way of penalty,-

w.e.f. 1.4.2006 to 7.7.2009

- (i) in case the dealer is required to pay tax every month under section 20, a sum equal to rupees ten per day for the period during which the default in furnishing such return continuous, but not exceeding in the aggregate twenty percent of the tax so assessed; and
- (ii) in all other cases, a sum equal to rupees five per day subject to a maximum limit of rupees five thousand, for the period during which the default in furnishing of such return continues.

w.e.f. 8.7.2009 to 9.3.2011

- (i) in case the dealer is required to pay tax every month under section 20, a sum equal to rupees one hundred per day for first fifteen days of such default and thereafter a sum equal to rupees five hundred per day for the period during which the default in furnishing such return continues, but not exceeding in the aggregate thirty percent of the tax so assessed; and
- (ii) in all other cases, a sum equal to rupees fifty per day subject to a maximum limit of rupees five thousand, for the period during which the default in furnishing of such return continues.

9. इसी प्रकार वेट अधिनियम की धारा 17 (1) व (2) के प्रावधान निम्नानुसार हैं :-

17. Tax payable by a dealer. –

- (1) Subject to the other provisions of this Act, the net tax payable by a registered dealer, other than the dealer covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, for a tax period shall be calculated as under :-

$$T = (O+R+P) - I$$

Where –


T is net tax payable;

O is amount of output tax;

R is amount of reverse tax;

P is the amount of tax payable under sub-section (2) of section 4; and

I is the amount of input tax.




(2) Where the net tax payable under sub-section (1) has a negative value, the same shall be first adjusted against any tax payable or amount outstanding under the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956) or under this Act or the repealed Act and the balance amount if any, shall be carried forward to the next tax period or periods. In case the dealer claims refund of the balance amount, if any, at the end of the year, the same shall be granted only after the end of the immediately succeeding year. However, the Commissioner after recording reasons for doing so may, by a general or specific order, direct to grant such refunds even earlier.

10. वेट अधिनियम की धारा 17(2) के उपरोक्त प्रावधान अनुसार यदि व्यवहारी की करदेयता Negative रहती है तो कर निर्धारण अधिकारी व्यवहारी के विरुद्ध सृजित किसी भी प्रकार की मांग के पेटे समायोजन करने हेतु अधिकृत हैं। ऐसी स्थिति में व्यवहारी को देय आई.टी.सी. के पेटे, मांग का समायोजन किये जाने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गयी है। अतः विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि अपीलार्थीगण का यह तर्क बलहीन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वमेव आई.टी.सी. का समायोजन किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।

11. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किये गये नोटिस दिनांक 05.07.2010 सुनवाई दिनांक 27.07.2010 की पालना में अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब दिनांक 04.08.2010 के पैरा संख्या 4 व 5 में निम्न प्रकार अंकन किया गया है :-

4. The provision of RVAT Act, 2003, since are lacking clarity and was and is full of ambiguity in its compliance leading to issue time and again of various clarifications, making amendments / substitution and issue of notifications etc. including issue of circular by Commissioner of Commercial Taxes, that so far as the initial years of implementation of RVAT Act, 2003 are concerned, no penalty should be levied and a lenient view was directed by the commissioner to be applied / taken. It would be appreciated that had there been no such ambiguity existing then there would have been no extension of time for the second and fourth quarters of the year under consideration and there would have not been any extension from 30.07.2008 to 30.11.2008 and from 30.04.2009 to 18.08.09. The assessee remained under a bonafide belief that its haste in filing of return in time may in such a perplex situation may not result in any wrong filing of particulars resulting in to face penalty proceeding for that.



5. The assessee in this case also heard and understood that a circular was issued by the Commissioner of Commercial Taxes, to the effect that no penal action would be taken in the initial years of VAT implementation for bonafide procedural / technical mistakes. Though the implication and applicability of the Commissioner's circular was applicable for the year 2006-07. This was on enquiry and clarification the matter subsequently transpired that the Circular of CCT was meant for the first year of vat implementation only. This confusion was caused to it because of the use of the word initial year of vat implementation in the said circular.

12. अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण प्रपत्रों की विलम्ब का विवरण निम्नानुसार है :-

| Period | 579/2012 | | | 580/2012 | | |
|---------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------|
| | Due Date | Filing Date | Delay | Due Date | Filing Date | Delay |
| I Qtr | 30-07-08 | 31-08-09 | 397 | 30-07-08 | 31-08-09 | 397 |
| II Qtr | 30-11-08 | 31-08-09 | 277 | 30-11-08 | 31-08-09 | 277 |
| III Qtr | 30-01-09 | 31-08-09 | 213 | 30-01-09 | 31-08-09 | 213 |
| IV Qtr | 30-04-09 | 31-08-09 | 123 | 30-04-09 | 31-08-09 | 123 |

| Period | 581/2012 | | | 582/2012 | | |
|---------|----------|-------------|-------|----------|-------------|-------|
| | Due Date | Filing Date | Delay | Due Date | Filing Date | Delay |
| I Qtr | 30-07-08 | 31-08-09 | 397 | 30-07-08 | 13-08-09 | 379 |
| II Qtr | 30-11-08 | 31-08-09 | 277 | 30-11-08 | 13-08-09 | 256 |
| III Qtr | 30-01-09 | 31-08-09 | 213 | 30-01-09 | 13-08-09 | 195 |
| IV Qtr | 30-04-09 | 31-08-09 | 123 | 30-04-09 | 13-08-09 | 105 |

13. अपीलार्थी व्यवहारी गण द्वारा बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई तर्कसंगत/युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तर्कसंगत/युक्तियुक्त स्पष्टीकरण के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विवेकीय शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2008) 18 वी.एस.टी. 282 कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज, सर्विस टैक्स एण्ड कस्टम्स, बैंगलोर बनाम फर्स्ट फ्लाइट कोरियर्स लिमिटेड में निम्न व्यवस्था दी गयी है :-


"Held, allowing the appeal, that the reason assigned for not having paid the tax for the period from April, 1998 to March, 1999 was that there was unrest in the factory which lasted from October, 1998 to May, 1999. The explanation was disbelieved by the assessing authority for the reasons recorded by him that during the period prior to October, 1998 the assessee was required to remit service tax on monthly basis and file ST (3) returns on quarterly basis. **Therefore the assessing authority had rightly imposed penalty in exercise of discretionary power at Rs. 100 per day for the period during which there was no unrest. The finding of fact was affirmed by the appellate authority and the Tribunal committed an error in reducing the quantum of penalty. Therefore the order passed by the Assessing authority was to be restored.**"

14. हस्तगत चारों प्रकरणों में विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने पर इस हेतु वेट अधिनियम में विहित शास्ति आरोपण का बिन्दु विवादित है। अपीलार्थीगण वेट अधिनियम की धारा 21 की पालना में विहित समयावधि में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने के लिये दायित्वाधीन हैं। यह निर्विवादित है कि अपीलार्थीगण विहित समयावधि में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, जैसा कि उपरोक्त पैरा संख्या 12 से स्पष्ट है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण युक्तियुक्त नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकार किया गया है। माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 17 वैट रिपोर्टर 217 वाणिज्यिक कर अधिकारी सिरोही बनाम शिवकरनदास मुकुन्दीलाल जैन; (2012) 137 टैक्स अपडेट 103 वाणिज्यिक कर अधिकारी सिरोही बनाम अम्बालाल मोतीजी सिरोही एवं (2012) 34 टैक्स अपडेट 153 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी तृतीय, सिरोही बनाम चारभुजा इलेक्ट्रिक एन्टरप्राइजेज, जावाल में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति पूर्णतया विधिसम्मत है।

15. उपरोक्त विवेचन एवं माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारीगण के बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है, इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने में भी कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

16. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारीगण की चारों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

17. निर्णय सुनाया गया।

 24.03.2015

(मनोहर पुरी)
सदस्य